83

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा [म0प्र0]

R. 5103-दो/15

457
13.10.15

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs 20/-

बीरेन्द्र प्रसाद उर्मलिया तनय ललता प्रसाद उर्मलिया निवासी ग्राम छुरेहटा कला तहसील मऊगंज जिला रीवा [म0प्र0] -----निगरानीकर्ता

बनाम

उमाशंकर पाण्डेय तनय साधू लाल पाण्डेय निवासी ग्राम छुरेहटाकला तहसील मऊगंज जिला रीवा [म0प्र0] -----गैरनिगरानीकर्ता

अपील विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील मऊगंज प्रकरण क्रमांक 363/2/13-14 आदेश दिनांक 25-8-2014.

सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है :-

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

2. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर विधिवत साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं तारीख/पेशी नियत किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित करते हुये सीमांकन आदेश की पुष्टि कर दी गयी है जो निरस्त किए जाने योग्य है।

3. यह कि अधीनस्थ तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन कार्यवाही

बीरेन्द्र प्रसाद उर्मलिया

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 5103–दो/2015 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28.5.18	आवेदक अधिवक्ता श्री बृजेन्द्र सिंह उपस्थित होकर उनके द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण कमांक 36/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 25.8.14 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों के साथ म्याद अधिनियम धारा 5 का आवेदन के साथ शपथ पत्र भी संलग्न किया है। 2– आवेदक अधिवक्ता के निगरानी की ग्राह्यता पर तर्क सुने एवं निगरानी में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय में निगरानी लगभग 1 वर्ष 2 माह के विलंब से प्रस्तुत की गई है आवेदक द्वारा मात्र अपने धारा 5 के आवेदन में यह लेख किया है कि न्यायालय के संबंधित रीडर द्वारा पता करने पर उनके द्वारा बार–बार यही बताया गया कि प्रकरण में अभी आदेश नहीं हुआ है जिसके कारण विलंब हुआ है उसे क्षमा करने का निवेदन किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया प्रकरण में दस्तावेजों का अवलोकन किया इससे ज्ञात है कि आवेदक द्वारा कोई समाधानकारक कारण नहीं बताया गया है जिसके कारण उनका धारा 5 का आवेदन विलंब क्षमा करने योग्य	

नहीं है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर धारा5 का आवेदन क्षमा योग्य एवं समाधानकारक नहीं होने के कारण प्रकरण अग्राह्य किया जाता है।

सदस्य